

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

दिनांक: 15/10/2026

पत्रांक : 2532 / वाद सं० सी-0489/एस-12/2026

सेवा में,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।
महोदय,

विपक्षी श्री शहिद राव, निवासी-मेहुवाल, निकट कान्ति मार्ग, देहरादून द्वारा स्थल पर प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 50 गुणा 90 फिट के क्षेत्रफल में बुनियाद भर कर कॉलम खड़े करने का निर्माण किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस जारी कर वाद सं० आर-0489/एस-12/2026 योजित किया गया है। चालान शुदा निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 22/10/26 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध-जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।
2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. थानाध्यक्ष पटेलनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को सील से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अमि०/अव० अमि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. आई०टी० अनुभाग एम०डी०डी०ए० को सूचनार्थ प्रेषित।

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

